कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2260 /12–1 देहरादूनःदिनांकः 12 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0)
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़
देहरादून।

विषय– जनपद –रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जल शोधन संयत्र के निर्माण हेतु 0.09 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन।(PROPOSAL NO. FP/UK/WATER/149873/2021)

सन्दर्भ– इस कार्यालय का पत्रांक 1914/12–1 दिनांक 02–02–2024 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक 1914/12-1 दिनांक 02.02.2024 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो की बिंदुवार अनुपालन आख्या हार्ड प्रति पूर्व में प्रेषित की गई थी। वर्तमान में प्रस्तावक विभाग से प्राप्त ऑनलाइन अनुपालन आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपलोड कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 2260 / दिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
2. अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम रूद्रप्रयाग।

o/c

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner

शन्दरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1915 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 23- फरवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषयः– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जल शोधन संयत्र के निर्माण हेतु 0.09है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO.-FP/UK/WATER/149873/2021

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./09/26/2022 एफ0सी0/1270 दिनांक 23.12.2023.

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र संख्या–1574/12–1 दिनांक 05.02.2024 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

| क्र | शर्त का विवरण | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 1907/12–1(2)दिनॉक 19.12.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरणः–** | |
| (क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 180 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 0.18 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।** | **वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 180 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 0.18 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित)** रुपये 80,782.00 (अस्सी हजार सात सौ बयासी) मात्र **जमा की गई है** (संलग्नक–1) **तथा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।** |
| (ख) | राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | **वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पौधारोपण योजना** (संलग्नक–2) **के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए गूगल मानचित्र** (संलग्नक–3) **संलग्न कर प्रेषित हैं।** |



Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| | वर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल) वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं। | **वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की गई है** (संलग्नक–1 के अनुसार) **तथा अवगत कराया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।** |
| 5 | **शुद्ध वर्तमान मूल्य** | |
| (क) | इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IAनम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998– एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.09 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | **वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 0.09 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य** रुपये 1,16,357.00 (एक लाख, सोलह हजार, तीन सौ सत्तावन) मात्र की धनराशि **कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है।** (संलग्नक–1 के अनुसार) |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक–4)** |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग के पक्ष में कुल **रुपये 1,97,139 (एक लाख, सत्तानबे हजार, एक सौ उन्तालीस) मात्र की धनराशि** ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| 8 | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 9 | नवीनत्तम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनत्तम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिये और परिपक्व वृक्षारोपण | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया |



Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| | (plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 (होना) चाहिये। | जायेगा। |
| 10 | वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 11 | नोडल अधिकारी State CAMPAयह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन उच्च स्तर से किया जाना है। |
| 12 | राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 13 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में उक्त शर्त लागू नहीं है। |
| 14 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 15 | वन भूमि पर श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 17 | सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 18 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 19 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 20 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 21 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 22 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा एवं प्रयोक्ता अभिकरण |



Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| | समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। | द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 23 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 24 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वाराएवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 25 | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**संख्या– 1915 / 12-1 दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



Scanned with OKEN Scanner

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fax 01368-222566

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 1574 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, 05/02/ ,2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषय– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जल शोधन संयत्र के निर्माण हेतु 0.09है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन।**
**PROPOSAL NO.-FP/UK/WATER/149873/2021**

**सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./09/26/2022 एफ0सी0/1270 दिनांक 23.12.2023.**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 1907/12–1(2) दिनॉक 19.12.2023 से अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार स्तर से प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रूद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक 4888/वन भूमि /346 दिनांक 06.12.2023 से प्रभागीय कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो निम्न प्रकार प्रेषित है–

| क्र | शर्त का विवरण | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 1907/12–1(2)दिनॉक 19.12.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरणः–** | |
| (क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 180 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 0.18 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।** | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 180 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 0.18 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) **रुपये 80,782.00 (अस्सी हजार सात सौ बयासी) मात्र** जमा की गई है **(संलग्नक–1)**तथा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| (ख) | राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया कि पौधारोपण योजना **(संलग्नक–2)** के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए गूगल मानचित्र **(संलग्नक–3)** संलग्न कर प्रेषित हैं। |
| (ग) | प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 3380
पत्रावली
दिनांक 17-2-24

JAIDEEP

| | | |
|---|---|---|
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जा सकते हैं। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग के उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कराया गया कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनु प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की गई है **(संलग्नक–1 के अनुसार)** तथा अवगत कराया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 5 | **शुद्ध वर्तमान मूल्य** | |
| (क) | इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IAनम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.09 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त के अनुपालन में इस प्रस्ताव के तहत 0.09 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य **रुपये 1,16,357.00 (एक लाख, सोलह हजार, तीन सौ सत्तावन) मात्र की धनराशि** कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की गई है। **(संलग्नक–4)** |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग के पक्ष में कुल **रुपये 1,97,139 (एक लाख, सत्तानबे हजार, एक सौ उन्तालीस) मात्र की धनराशि** ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की गई है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)** |
| 8 | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 9 | नवीनत्तम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनत्तम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिये और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिये। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

**क्रमशः पृष्ठ 3 पर**

JAIDEEP

| | | |
|---|---|---|
| 10 | वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 11 | नोडल अधिकारी State CAMPAयह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन उच्च स्तर से किया जाना है। |
| 12 | राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 13 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में उक्त शर्त लागू नहीं है। |
| 14 | केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 15 | वन भूमि पर श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 17 | सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 18 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 19 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 20 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

JAIDEEP

Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| 21 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 22 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 23 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 24 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 25 | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। | प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

**संलग्नकः– यथोपरि।**

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक / दिनॉक

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

Scanned with OKEN Scanner

पंजीकृत
ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फ्रोन/ फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता :- माई की गढ़ी निकट जखोली बाईपास रूद्रप्रयाग

# कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 1907 /12-1(2) दिनांक 19 /12 /2023::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय :- **जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जल शोधन संयत्र के निर्माण हेतु 0.09 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रुद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन।**
**PROPOSAL NO.- FP/UK/WATER/149873/2021**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायचु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./07/28/2022/एफ.सी./1813 दिनांक 16.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-4888/वन भूमि/346 दिनांक 06.12.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) निम्न प्रकार प्रेषित है-

| बि.सं. | शर्त का विवरण | आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 3 | **प्रतिपूरक वनीकरणः-** | |
| (क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 180 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.18 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।** | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 180 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.18 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) **रुपये 80,782.00 (अस्सी हजार सात सौ बयासी) मात्र** जमा की गई है **(संलग्नक-1)** तथा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| | राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | पौधारोपण योजना **(संलग्नक-2)** के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए गूगल मानचित्र **(संलग्नक-3)** संलग्न कर प्रेषित हैं। |
| (ख) | प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण को वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की गई है **(संलग्नक-1 के अनुसार)** तथा अवगत कराया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

क्रमश :-2 पर

| | | |
|---|---|---|
| 17 | सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 18 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 19 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 20 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 21 | इनमे से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाही होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 22 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 23 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 24 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 25 | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित तीन प्रतियों में)

भवदीय

(अभिमन्यु)
उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।

**प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम रुद्रप्रयाग।

(अभिमन्यु)
उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल
संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
पोखरी रोड़, बेलनी रूद्रप्रयाग,
उत्तराखण्ड – 246171

Office of the Executive Engineer,
Construction Division Uttarakhand
Peyjal Sansadhan Vikash Evam
Nirman Nigam, Pokhari Road, Belani
Rudraprayag Uttarakhand - 246171

Email ID :- cdukpjnrpg@gmail.com

पत्रांक 4888 / वन भूमि / 346 दिनांक 06/12/2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः **जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जल सोधन संयत्र के निर्माण हेतु 0.09 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO. FP/UK/WATER/149873/2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 956/12–1(2) दिनांक 14.09.2023 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/09/26/2022/एफ0सी0/1270 दिनांक 23.12.2022 के सन्दर्भ में अवगत कराई गई शर्तो का अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की गयी थी। आपके कार्यालय से दूरभाष के क्रम में उक्त अनुपालन आख्या संशोधित कर पुनः प्रेषित की जा रही है।

| क0 सं0 | शर्ते | आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। |
| 3 | प्रतिपूरक वनीकरणः | |
| (क) | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 180 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.18 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। | उक्त शर्त के अनुपालन में प्रति0वनी0 के लिए 180 पौधो का रोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 **80782.00** मात्र की धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा कर दी गई है (संलग्नक–1)। |
| (ख) | राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। | वन विभाग से सम्बन्धित है। |
| (ग) | प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। | वन विभाग से सम्बन्धित है। |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। | उक्त शर्त के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गई है (संलग्नक–1 के अनुसार)। उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |



AE Sir Letter Pad
"जल संचय– जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदुषित होने से बचाईये।"
वैधानिक चेतावनी – जल स्त्रोतों को प्रदुषित करना ...
Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| 5 | शुद्ध वर्तमान मूल्यः | |
| (क) | इस सबन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) (संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.-2) दिनांक 18.09.2003, 05-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.09 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | उक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्ताव के तहत 0.09 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 **116357.00** मात्र की धनराशि जमा कर दी गई है (संलग्नक-1 के अनुसार)। |
| (ख) | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि हेतु बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-2)। |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 7 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 8 | एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 9 | नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। | वन विभाग से सम्बन्धित है। |
| 10 | वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छुसार नहीं बदलेंगे। | वन विभाग से सम्बन्धित है। |
| 11 | नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे। | वन विभाग से सम्बन्धित है। |
| 12 | राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 13 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 14 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 15 | वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 17 | सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings आंकित हो। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |



AE Sir Letter Pad

"जल संचय- जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदुषित होने से बचाईये।"
वैधानिक चेतावनी - जल स्त्रोतों को प्रदुषित करना दण्डनीय अपराध है।

Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 19 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 20 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 21 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 22 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 23 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 24 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |
| 25 | अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। | उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। |

**संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

(नवल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

**पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि :–**

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/श्री जीतेन्द्र सिंह रावत, कनिष्ठ अभियन्ता को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता

प्राप्त
07/12/2023
वन भूमि



Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - ①

Challan

...Y COPY

Union Bank

...an for collection of CAMPA fund

...-2023

| | |
|---|---|
| | CAM5089 |
| | UTTARANCHAL |
| ...me. | UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM |
| ...tion No. | 53149873279 |
| ...le No. | 8B/UCP/09/26/2022/FC |
| | Construction Division Uttarakhand peyjal nigam Rudraprayag Rudraprayag |
| ...ntact No. | cdupjnrudraprayag@gmail.com 9410568370 1364-233207 |
| ...Rs) | 197139/- |
| ...Branch | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

...ords:One Lakh Ninety-Seven Thousand One ...Thirty-Nine Rupees Only

...Signature | Bank Official (Signature)

| ...action Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

- ...s should use CMS menu (FCS & CAPS) ...ss the transaction
- ...should only be accepted against
- ...Remitter Name in Additional ...ion 1
- ...Remitter Mobile number in Additional ...ion 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 24-09-2023

| | |
|---|---|
| Client Code. | CAM5089 |
| Location. | UTTARANCHAL |
| Remitter Name. | UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM |
| PIF/Application No. | 53149873279 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/09/26/2022/FC |
| Address. | Construction Division Uttarakhand peyjal nigam RudraprayagRudraprayag |
| Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No. | cdupjnrudraprayag@gmail.com 9410568370 1364-233207 |
| Amount(in Rs) | 197139/- |
| Beneficiary Branch and Code. | Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 |

Amount in Words :One Lakh Ninety-Seven Thousand One Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

Depositor Signature (Signature) | Bank Official (Signature)

| Bank's Transaction Number | Branch Stamp |
|---|---|
| | |

Executive Engineer
Const. Div. Uttarakhand
Pey Jal Nigam
Rudraprayag

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

...successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpde...

...aking the required payment through challan, if the payment status has not been updated ...working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference ...csblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbank...

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UNION BANK OF INDIA Branch Rudraprayag

24/09/2023

Scanned with OKEN Scanner

| Proposal Detail | Application_No | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.) | Payment Status | Payment Detail | Demand Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP/UK/WATER/149873/2021<br><br>Construction of Water Treatment Plant under Rudraprayag town existing gravity w/s scheme | WATER1498732021279 | 53149873279 | 23 Dec 2022 | CA: 80782/- , Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/- , CAT : 0/-<br>Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/-<br>NPV: 116357/- , Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Other Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 197139/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On :23 Sep 2023<br>Bank Name :Union Bank Of India<br>Mode of Payment :Union Bank Of India (Challan)<br>Challan Generated On :25 Sep 2023<br>Transaction Date :27 Sep 2023 | Demand Letter |

ASSITANT ENGINEER
Construction Divison
Uttarakhand Peyjalnigam
Rudraprayag

1/1

Scanned with OKEN Scanner

योजना का नाम - जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जल शोधन संयत्र के निर्माण हेतु 0.09 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन

**वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन**

क्षेत्र का नाम- रूद्रप्रयाग रिजर्व कक्ष संख्या-7

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- 180 पौध

क्षेत्रफल- 0.180 है०

संलग्नक -②

| क्र०सं० | कार्य का विवरण | इकाई | | इकाई दर | व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | सर्वे व सीमांकन | | | | |
| 2 | क्षेत्र की सफाई कार्य (झाडी कटान आदि) | 0.180 | है० | 1118.00 | 201.24 |
| | | 0.180 | है० | 1908.06 | 343.45 |
| 3 | सूखी दीवाल नव निर्माण मय 15 से०मी० बुनियाद सहित | $27\times.45\times1.20=14.58\ m^3$ | | 745.72 | 10872.60 |
| 4 | गड्ढो का खुदान (0.30×0.30×0.45) मी० | 180 | प्रति गड्ढा | 1247.84 | 2246.11 |
| 5 | निरीक्षण बटिया बनाना | - | - | - | 0.00 |
| 6 | कण्टूर नाली खुदान मय सीमांकन सहित | 42 | प्र०र०मी० | 105.83 | 4444.86 |
| 7 | अन्य व्यय जैसे यत्र सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय | 0.180 | है० | 1350.00 | 243.00 |
| 8 | साइन बोर्ड लगाना (3×4)फिट (क्रय एवं ढुलान सहित) | ल०स० | | 3600.00 | 3600.00 |
| | | | | योग | **21951.26** |
| अन्य व्यय | | | | | |
| 1 | पौधालय विकास एवं अनुरक्षण | 2.00 प्रतिशत | | | 439.03 |
| 2 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण | 0.50 प्रतिशत | | | 109.76 |
| 3 | श्रम कल्याण कार्य | 0.50 प्रतिशत | | | 109.76 |
| 4 | वाहन किराया, रख-रखाव, ईधन व अन्य पर व्यय | 1.00 प्रतिशत | | | 219.51 |
| 5 | कार्यालय व्यय (स्टेशनरी, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) | 1.00 प्रतिशत | | | 219.51 |
| 6 | अन्य आकस्मिक व्यय (औजार तेज करना इत्यादि) | 1.00 प्रतिशत | | | 219.51 |
| | **योग- प्रथम चरण** | | | | **23268.34** |
| | **द्वितीय चरण** | | | | |
| 1 | गड्ढा भरान कार्य 0.30×0.30×0.45) मी० | 180 | सं० | 226.88 | 408.38 |
| 2 | पौधों का मूल्य | 180 | प्र०सं० | 19.00 | 3420.00 |
| 3 | पौध ढुलान वाहन द्वारा | 180 | प्रति पौध | 9.35 | 1683.00 |
| 4 | पौध ढुलान सरवोझ | 180 | प्रति पौध | 8.00 | 1440.00 |
| 5 | पौध रोपण कार्य व थावला वन्दी कार्य | 180 | सं० | 453.76 | 816.77 |
| 6 | निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार) | 180 | सं० | 5.84 | 1051.20 |
| 7 | खाद/रसायन | 180 | सं० | 0.35 | 63.00 |
| 8 | वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय | 0.180 | प्र० है०/माह | 1977.00 | 4270.32 |
| 9 | 8.1 वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है० | 0.180 | है० | 1908.06 | 343.45 |
| 10 | अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन वार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य | 0.180 | ल०स० | 1000.00 | 1000.00 |
| 11 | अन्य कार्य | - | - | - | - |
| | **योग-द्वितीय चरण** | | | | **14496.12** |
| | **वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव** | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य | 0.180 | प्र० है०/माह | 1977.00 | 4270.32 |

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है० | 0.180 | है० | 1908.06 | 343.45 |
| 2 | अन्य कार्य | - | - | - | - |
| | योग | | | | 4613.77 |
| | वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य | 0.180 | प्र० है०/माह | 1977.00 | 4270.32 |
| 2 | अन्य कार्य | - | - | - | - |
| | योग | | | | 4270.32 |
| | वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य | 0.180 | प्र० है०/माह | 1977.00 | 4270.32 |
| 2 | अन्य कार्य | - | - | - | - |
| | योग | | | | 4270.32 |
| | वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य | 0.180 | प्र० है०/माह | 1977.00 | 4270.32 |
| 2 | अन्य कार्य | - | - | - | - |
| | योग | | | | 4270.32 |
| | वृक्षारोपण का पाँचवे वर्ष का रख–रखाव | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य | 0.180 | प्र० है०/माह | 1977.00 | 4270.32 |
| 2 | अन्य कार्य | - | - | - | - |
| | योग | | | | 4270.32 |
| | वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य | 0.180 | प्र० है०/माह | 1977.00 | 4270.32 |
| 2 | अन्य कार्य | - | - | - | - |
| | योग | | | | 4270.32 |
| | वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख–रखाव | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य | 0.180 | प्र० है०/माह | 1977.00 | 4270.32 |
| 2 | अन्य कार्य | - | - | - | - |
| | योग | | | | 4270.32 |
| | वृक्षारोपण का आठवां वर्ष का रख–रखाव | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य | 0.180 | प्र० है०/माह | 1977.00 | 4270.32 |
| 2 | अन्य कार्य | - | - | - | - |
| | योग | | | | 4270.32 |
| | वृक्षारोपण का नववा वर्ष का रख–रखाव | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य | 0.180 | प्र० है०/माह | 1977.00 | 4270.32 |
| 2 | अन्य कार्य | - | - | - | - |
| | योग | | | | 4270.32 |
| | वृक्षारोपण का दसवां वर्ष का रख–रखाव | | | | |
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य | 0.180 | प्र० है०/माह | 1977.00 | 4270.32 |
| 2 | अन्य कार्य | - | - | - | - |
| | योग | | | | 4270.32 |
| | क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत– | | | | 80811.11 |
| | या | | | | 80782.00 |

(दिग्विजय सिंह झिक्वाण)
अनु० अधिकारी,
पोखरसारी

साजि-अधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग

उप वनसंरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -(3)

परियोजना का नाम :– जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जल शोधन संयत्र के निर्माण हेतु 0.09 है0 वन भूमि के एवज में वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का विवरण।
**PROPOSAL NO. - FP/UK/WATER/149873/2021**

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम :– रुद्रप्रयाग रिजर्व क0सं0–7 (आरक्षित वन भूमि)
वृक्षारोपण क्षेत्रफल :– 0.180 है0

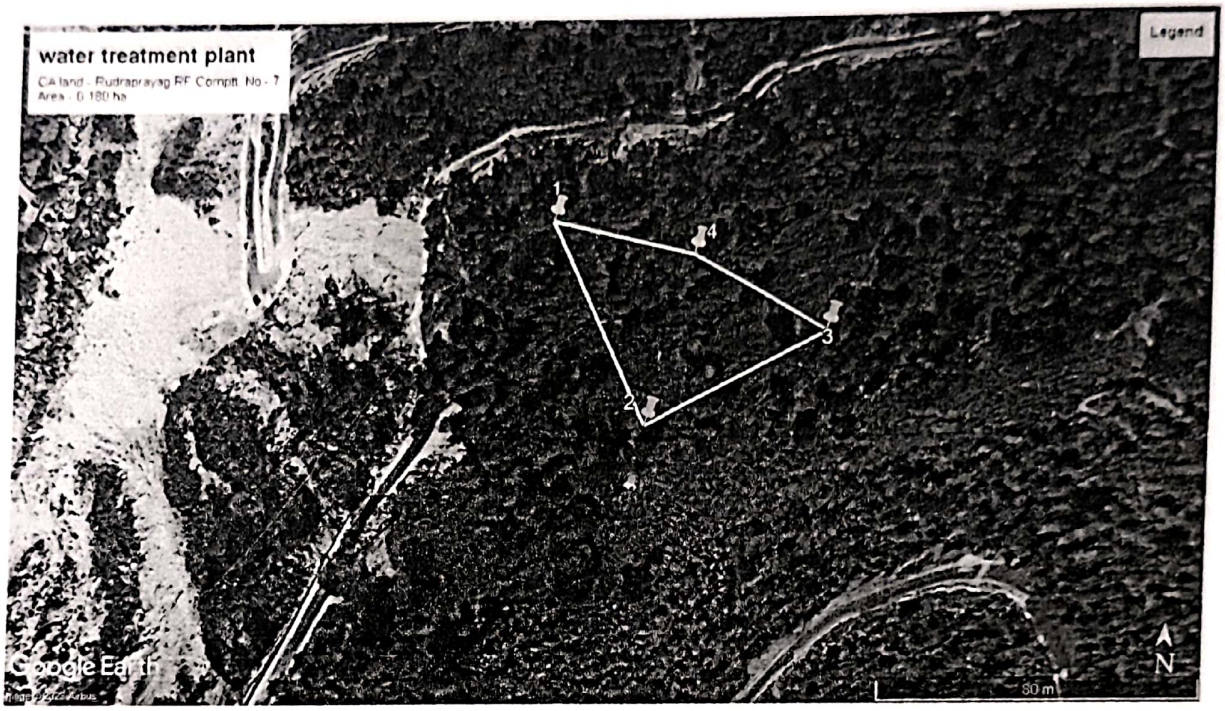


## G.P.S. Coordinates

| | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1- | 30°16'28.40"N | 78°58'57.84"E |
| 2- | 30°16'26.66"N | 78°58'58.89"E |
| 3- | 30°16'27.47"N | 78°59'0.55"E |
| 4- | 30°16'28.10"N | 78°58'59.30"E |

R.O.

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 4

प्रपत्र — 43

परियोजना का नाम :— रूद्रप्रयाग नगर हेतु जल शोधन संयत्र का निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

Attested

ASSITANT ENGINEER
Co..struction Divison
Uttarakhand Peyjalnigam
Rudraprayag

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी